

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 446/11

संस्थापन दिनांक:-07/12/11

फाईलिंग नं. 233504000632011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रामकिशोर पिता शंकर नागले
उम्र 50 वर्ष, निवासी जम्बाड़ी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.12.2011 को समय रात्रि 08:50 बजे गीतांजली होटल के पास आमला से खानापुर रोड पर थाना आमला जिला बैतूल में लोकमार्ग पर बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.1974 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध जिसकी कुल लंबाई दस इंच तथा मूठ की लंबाई 6 इंच तथा चौड़ाई 2½ इंच कुल 16 इंच लोहे की धारदार छुरी को अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, 05.12.2011 को प्रधान आरक्षक लख्खू साहू को जरिए टेलीफोन के सूचना मिली कि गीतांजली होटल के पास आमला खानापुर रोड पर अभियुक्त हाथ लोहे की छुरी लेकर घूम रहा है। सूचना की तत्पश्चात हेतु वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मौके पर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त को हाथ में लोहे की छुरी लिये आम जनता को मारने पीटने की बात करते पकड़ा, जो अवैध रूप से लोहे की छुरी रखे मिला जिससे कागजात पूछने पर कागजात न होना बताया। जिस पर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष मौके पर लोहे की छुरी जप्त की गयी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 357/11 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण

होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.12.2011 को समय रात्रि 08:50 बजे गीतांजली होटल के पास आमला से खानापुर रोड पर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई दस इंच तथा मूठ की लंबाई 6 इंच तथा चौड़ाई 2½ इंच कुल 16 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 लखवू साहू (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 05.12.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए टेलीफोन पर प्राप्त सूचना के आधार पर वह हमराह साक्षी को लेकर गीतांजली होटल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त रामकिशोर हाथ में छुरी लेकर आने वाले लोगों को डरा धमका रहा था जिससे कागजात पूछे जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जिस पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 357/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी।

6 शेख अलीम (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी

भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी जिसके स्वयं के कथनों पर विरोधाभास है उसके एकमात्र कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र लख्खू साहू (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक लख्खू साहू की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 लख्खू साहू (अ.सा.-3) ने अपने परीक्षण में टेलीफोन पर सूचना प्राप्त होने पर गीतांजली होटल के पास हमराह साक्षी यादोराव एवं अलीम को साथ लेकर पहुंचना और वहां पर अभियुक्त को हाथ में छुरी लिये होने पर उसके संबंध में पूछताछ किये जाने के उपरांत अभियुक्त से गवाहों के समक्ष छुरी को जप्त करना और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में नमूना सील नहीं लगायी गयी है परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में ही बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि जप्तशुदा आर्टिकल-ए पर थाने की सील नहीं लगी है। साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जप्तशुदा छुरी धारदार नहीं है। उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्तशुदा छुरी उसके द्वारा टेप से नापी गयी थी। साथ ही यह भी सही होना बताया है कि उसने लंबाई चौड़ाई टेप से नापकर इंच में लिखी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह सूचना मिलने पर साक्षी अलीम (अ.सा.-2) और यादोराव (अ.सा.-1) को साथ लेकर गया था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि उसे साक्षीगण मौके पर ही मिले थे। तत्पश्चात उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे गवाह रास्ते में मिले थे और मौके से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर मिले थे फिर वह उन्हें साथ लेकर गीतांजली होटल मौके पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षीगण के साथ ले जाने के संबंध में उक्त साक्षी के कथनों में विरोधाभास प्रकट होता है परंतु न्यायालय के मत में गवाहों का साथ लेकर जाना या मौके पर मिलना यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गवाहों के समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी अथवा नहीं। यद्यपि जप्ती का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है परंतु शेख अलीम (अ.सा.-2) ने जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक में उसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) ने न्यायालय में

अपने पुलिस कथनों से भिन्न कथन प्रकट किये हैं। अतः उक्त साक्षीगण विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर उसे सील बंद किया गया है। विवेचक साक्षी लख्खू साहू (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में जप्तशुदा आर्टिकल को दिखाये जाने पर उसने थाने की सील अंकित होना बताया है, आयुध की नाप इंच टेप से की जाकर लंबाई चौड़ाई लेख करना बताया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अनुसार जप्तशुदा आयुध के फन की लंबाई 10 इंच तथा उसकी चौड़ाई 2½ इंच एवं उसमें लगी बांस की मूठ की लंबाई 6 इंच है। इस प्रकार जप्तशुदा आयुध की लंबाई 6 इंच से ज्यादा एवं चौड़ाई 2 इंच से ज्यादा होने के कारण उक्त आयुध मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में वर्णित प्रतिषिद्ध आयुध की श्रेणी में आता है।

11 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि एकमात्र विवेचक साक्षी लख्खू साहू (अ.सा.-3) के द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी, अपराध कायमी की कार्यवाही की गयी है जिससे कि उक्त साक्षी के द्वारा की गयी कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है और यह साक्षी हितबद्ध साक्षी प्रकट होता है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत **स्टेट विरुद्ध जयपॉल 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1762** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह पुलिस अधिकारी करने में सक्षम है जो किसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखता है, अपराध पंजीबद्ध करता है और वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। मात्र इस आधार पर ही अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो यह स्वतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बचाव पक्ष अभिलेख पर यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त की पुलिस अधिकारी से कोई रंजिश या पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का उद्देश्य रहा हो। अतः बचाव अधिवक्ता का यह तर्क विचार योग्य नहीं रह जाता है।

13 प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की प्रति को अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित किया गया है परंतु रवानगी एवं वापसी सान्हा कार्बन प्रति होने से उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा रहा है। विवेचक साक्षी लख्खू साहू (अ.सा.-3) के कथनों में प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में कोई विसंगति प्रकट नहीं होती है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अनुसार एवं विवेचक साक्षी के कथनानुसार जप्तशुदा आर्टिकल सील बंद किया जाना और उसकी इंच टेप से नाप किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार विवेचक साक्षी के कथनों से एवं उसके द्वारा की गयी कार्यवाही से अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित होती है।

14 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.12.2011 को रात्रि 08:50 बजे या उसके लगभग गीतांजली होटल के पास आमला से खानापुर रोड थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे धारदार छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त रामकिशोर को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

15 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

16 दंड के प्रश्न पर अभियुक्त, उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान एडीपीओ के तर्क श्रवण किये गये। बचाव पक्ष का तर्क है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। साथ ही वह गरीब होकर मजदूर पेशी व्यक्ति है। अतः उसे परिवीक्षा का लाभ देकर अथवा न्यूनतम अर्थदंड से दंडित कर मुक्त कर दिया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियुक्त को अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

17 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में लोहे की धारदार छुरी रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

18 प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त रामकिशोर को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25(1-बी) (बी) के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड

अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

19 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

20 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21 द0प्र0स0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)